

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 2763 / गोपेश्वर, दिनांक 30/1/2018
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

द्वारा:- निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12840/2015 नौटी- छातोली मोटर मार्ग से ग्राम जखेट तक मोटर मार्ग का विस्तार।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No. 1 justification provided for trees but original hart copy of revised enumeration list or tree not provide.	पार्ट II के Additional information नं० 1 में अपलोड किया गया है।
2	In reply to point no 2 it is mentioned that revised NPV bill is uploaded as additional document in part II but the same is not found uploaded. Further ,density is mentioned as 0.2 for 51 tree in 0.17 ha area which may be mentioned as 0.2 for 0.17ha area which may be reviwed again and revised NPV calculation sheet may be uploaded and submitted.	NPV के आगुणन part II के Additional information नं० 3 में अपलोड किया गया है।
3	In reply to point no 3 FRA certificate is still undated and proceeding of sub Divisional Lavel Committee are given without mentioning date of Meeting .Stat Govt. has also not clarifild why to fell 39 sapilngs and 43 trees of 1 km long road over 0.140 ha forest land . what is the necessity to construct this road ?	Sub divisional level committee मे तिथि अंकित की गई है। (संलग्न) परियोजना से सम्बन्धित ग्राम की जनसंख्या 431 है जिस पर पहाडो पर आवागमन में अत्यन्त कठनाई व विषम परिस्थिति का सामना करना पडता है। जिस कारण मोटर मार्ग की अन्यन्त आवश्यकता है।
4	In reply to point no 4, original hard copy of proposal still not received in this office.	प्रस्ताव की मूल प्रति पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पत्रांक 119/1 सी वन दिनांक 18-01-2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,



(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री घोषणा में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार हेतु 0.140 हे० सिविल भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.170 हे० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 21/2/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/ब्यासवार विवरण

वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र


कार्यालय उप वन संरक्षक.....

दिनांक / / 2015

संख्या- /

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक/ कम्पार्टमेंट खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	ब्यास वर्ग										योग
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	सिविल भूमि	ग्राम छातोली	मेहल	Pryus pashia buch-Ham.	6	5	3	1	1	-	-	-	-	-	16
	- II -	- II -	तुन	Toona ciliata Roem.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- II -	- II -	तिलोज	Quercus dilatata royle.	33	20	9	2	1						65
		योग			39	25	12	3	2	-	-	-	-	-	82

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


वन क्षेत्राधिकारी
रेंज ऑफिसर, (गोपेश्वर)

ह० / -

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री घोषणा में जनपद बमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार हेतु 0.140 हे० सिविल भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.170 हे० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप वन संरक्षक,

संख्या-

/


दिनांक: / / 2015

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर-वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21/2/2015 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलिय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे।

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक / कम्पार्टमेंट खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	सिविल भूमि	ग्राम मटवाली	बांज	Quercus leucotrichophora Camus ex Bahadur (Syn. Q. incana Roxb.)	4	2	3	3	-	-	-	-	-	-	12
		योग			04	02	03	03	-	-	-	-	-	-	12

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन (भांज)


ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम: जनपद चमोली के अन्तर्गत नौटी- छोटोली मोटर मार्ग का ग्राम
जखेट तक विस्तार

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या
5-3/2007 -एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु
एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

- 1- इको-क्लास की श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का धनत्व..... 0.1
- 3-एन0पी0वी0 की दर6,57,000.00
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....0.17
- 5-कुल देय एन0पी0वी0.....रु0 1,11,690.00



उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 119 /1सी0 (वन)
सेवा में,

दिनांक 18/01/2018

उपवन संरक्षक
केदानाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12840/2015 नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.170 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका ई०डी०एस० दिनांक 17.01.2018
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नप्रकार है।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No. 1 justification provided for trees but original hard copy of revised enumeration list of tree not provide.	revised enumeration list of tree की मूल प्रति कृपया अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
2	In reply to point no 2, it is mentioned that revised NPV bill is uploaded online as additional document in part-II but the same is not found uploaded . Further, density is mentioned as 0.2 for 51 trees in 0-17 ha area which may be reviwed again and mentioned as 0.2 for 51 tree in 0.17 ha area which may be reviwed again and revised NPV calculation sheet may be uploaed and submitted.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
3	In reply to point No. 3 FRA certifiace is still undated and proceedings of sub divisional level committee are given without mentioning date of meeting. State govt. has also not clarified why to fell 39 saplings and 43 tee for 1 km long road over 0.140 ha forest land. what is the necessity to construct this road.	एफ०आर०ए० के प्रमाण पत्र मूल में इस कार्यालय के पत्रांक सं० 1624/1सी० वन दिनांक 10.11.2017 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित कर दिये गये है. Sub divisional level committee में तिथि अंकित गई है। छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। परियोजना से सम्बन्धित ग्राम की जनसंख्या 431 है। पहाडों पर आवागमन में अत्यन्त कठिनाई व विषम परिस्थिति का सामना करना पडता है। जिस कारण मोटर मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता है।
4	In reply to pont no 4, original hard copy of proposal still not received in this office.	प्रस्ताव की मूल प्रति इस कार्यालय के पत्रांक सं० 437/1सी० वन दिनांक 18.3.2016 के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। तत्पश्चात अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून के पत्र सं० 3274 दिनांक 02.5.2016 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

भवनीस

18/01/18

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० गौचर
18-1-2018